राजस्थान सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक :– रा.क.बो. / भण्डार / 2015 / 18073 दिनांक : 24-6-15

–: निविदा सूचना :–

इस विभाग को किराया आधार पर एक बोलेरो वाहन वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दर संविदा के लिये निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म कार्यालय से राशि 200 / – रूपये नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 15.07.2015 मध्यान्ह् 1.00 बजे तक है तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। विस्तृत सूचना विभाग की वेबसाईट www.taxboard.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Letter Accounts 1638

राजस्थान–सरकार

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

एक बोलेरो वाहन किराये पर देने हेतु विवरण

1. वाहन मालिक का नाम एवं पूर्ण पता --

----

2. वाहन संख्या विवरण
(रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, फिटनेस की फोटो प्रति संलग्न करें)
   1. वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर-----------------
   2. टैक्सी परमिट नम्बर--------------------
   3. वाहन के बीमा की वैद्यता तिथि-------------
   4. वाहन के फिटनेस की वैद्यता तिथि-----------

3. वाहन का मॉडल एवं वर्ष
   1. वाहन का मेक--------------------------
   2. वाहन मॉडल का वर्ष--------------------

4. वाहन किराये मय वाहन चालक के (पी.ओ.एल. एवं वाहन चालक सहित) की दरें।

ए. ***(अधिकतम भुगतान 18,000/— रुपए प्रतिमाह अधिकतम किमी. 1500 प्रतिमाह तक बोलेरो हेतु)***

कुल किमी. प्रतिमाह :– --

कुल राशि प्रतिमाह :–

अंको में :– --

शब्दों में :– --

बी. ***1500 कि.मी. की सीमा समाप्ति के बाद 2000 किमी तक दर 6.50 प्रति किमी. राशि रूपये अधिकतम–21000/— तथा 2000 कि.मी. के पश्चात् 2500 कि.मी तक दर 6.50 प्रति कि.मी. राशि रूपये अधिकतम 24000/—***

अंको में :– --

शब्दों में :– --

5. टेण्डर की अवधि --

6. विशेष विवरण --

8. बोर्ड के निर्देशानुसार बाहर टैक्सी अजमेर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर या अन्य स्थानों पर रिकार्ड/स्टाफ के प्रयोग हेतु मय वाहन चालक के उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ तथा समस्त व्यय प्रार्थी का होगा।

वाहन मालिक के हस्ताक्षर

नाम-------------------------

पता -------------------------

फोन न. -----------------------

राजस्थान–सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, कर भवन, अजमेर

एक बोलेरो वाहन किराये पर देने हेतु संविदा की शर्तें

1. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

2. प्रदाय किया गया वाहन, डीजल कार वैध टैक्सी परमिट धारी होना चाहिये एवं 2011 से पूर्व का मॉडल नहीं होना चाहिये, नवीनतम वर्ष के मॉडल को वरीयता दी जायेगी।

3. किराये हेतु अनुबंधित किये गये वाहन पर होने वाले समस्त खर्चे वाहन मालिके के होंगे। वाहन में किसी भी प्रकार की कमी के लिये यदि कोई चालान या जुर्माना होता है तो उसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

4. अनुबंधित वाहन पर रखा गया चालक बार–बार बदला नहीं जायेगा। वाहन चालक टैक्सी चलाने का वैध लाइसेंस धारक होना चाहिये।

5. किसी भी कारण से वाहन उपलब्ध न होने पर उस अवधि में किराये का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा कर ली जायेगी ता उसकी अंतर राशि अनुबंधकर्ता से वसूल की जायेगी।

6. अनुबंधित वाहन में किसी प्रकार की टूट–फूट, दुर्घटना होने, चोरी होने या चालक का चालान होने पर इस विभाग को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसका उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता पर होगा। वाहन का बीमा होना आवश्यक है।

7. वाहन खराब हो जाने की स्थिति में वाहन अनुबंधकर्ता को दूसरा वाहन जो सभी आवश्यक शर्तो को पूरा करता हो अविलम्ब उपलब्ध कराना होगा एवं उपलब्ध कराये गये वाहन का मालिक होना चाहिये अन्यथा अनुबंध की शर्त संख्या (10) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रभारी अधिकारी स्वंतत्र होगा।

8. बिना कारण बताये वाहन का अनुंबध समाप्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ऐसी स्थिति में अनुबंधित वाहन ने जितने दिन कार्य किया है उतने ही दिन/किमी का भुगतान किया जायेगा।

9. अनुबंधित वाहन चालक स्वंय द्वारा लायी गयी लॉग बुक रखेगा जिसमें प्रतिदिन की यात्रा लॉग बुक में दर्ज करायेगा। सक्षम अधिकारी का नाम पद तथा हस्ताक्षर कराने पर ही किराये का भुगतान किया जायेगा।

10. वाहन 24 घंटे सक्षम अधिकारी/कर बोर्ड के सदस्यगण के नियन्त्रण में रहेगा, तथा वाहन चालक सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के वाहन छोड़कर नहीं जायेगा।

11. वाहन किराये का भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा लॉग बुक को प्रमाणित करने के पश्चात् देय होगा। (लॉग बुक को समय–समय पर सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन चालक की होगी)

12. समस्त कानूनी कार्यवाही, यदि किसी भी पक्षकार (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पडे, अजमेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी। किसी अन्य स्थान पर नहीं।

लगातार.....................2

13. चुनाव के समय राज्य सरकार/अन्य अधिकारी द्वारा वाहन अधिग्रहण करने पर दूसरा वाहन तीन दिन में उपलब्ध कराना आवश्यक है अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

14. वाहन चालक के किसी भी कारण से अनुपस्थित रहने पर दूसरा वाहन चालक तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।

15. अनुबंधकर्ता को वाहन किराये का बिल भुगतान हेतु प्रत्येक माह लेखा शाखा में उपयोग किये गये वाहन के अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित करवाकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा बिल के साथ लॉग बुक की एक छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

16. सेवादाता की सेवाएँ असंतोषप्रद पाये जाने पर कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के विभाग द्वारा संविदा/सेवा निरस्त की जा सकती है एवं प्राप्त प्रतिभूति राशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

17. वाहन सेवाओं के लिये किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। भुगतान बजट आवंटन के अनुसार ही किया जावेगा। संबंधित निविदादाता इस हेतु अनावश्यक ताकिद नहीं करेगा।

19. उक्त शर्तों में परिवर्तन, विलोपन, प्रतिस्थापन या निरस्तीकरण के संबंध में सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित हैं।

20. नियमानुसार आयकर कटोती देय भुगतान राशि में से की जावेगी ।

21. अनुमोदित दरें एक वर्ष तक मान्य होगी किन्तु कर बोर्ड को आवश्यकता पडने पर निविदा की अवधि आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

22. भविष्य में वाहन किराये की दरों में संशोधन होने पर राज्य सरकार (वित्त विभाग Budget Division) के आदेश क्रमांक एफ.9(1)एफडी–1(1) Bud/2012 दिनांक 08.04.2013 के अनुसार आदेश दिनांक से राज्य सरकार की संशाोधित दर लागू होगी।

23. किसी माह में 1500 कि.मी से कम गाडी उपयोग में आने पर उसका समायोजन आगामी माहों में किया जायेगा।

24. धरोहर राशि रूपये 4500/– एफ.डी./एन.एस.सी जमा करानी होगी।

मैंने सभी शर्तें भली–भांति पढ एवं समझ ली है तथा स्वीकार्य हैं।

वाहन मालिक के हस्ताक्षर

नाम————————————

पूर्ण पता————————————

————————————————

फोन. न. ————————————